

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 39/2021 अपील

1. समता पुत्री रामसुख नाई निवासी बनाम 1. देबीलाल पिता रामसुख नाई निवासी खेड़लिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. रूपा पिता रामसुख नाई निवासी खेड़लिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. जेतू पत्नि रामसुख नाई निवासी खेड़लिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी रामसुख जाट निवासी नारायणपुरा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार, बनेड़ा

—अपीलार्थी

—रेस्पोंडेण्ट

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 440 नायब तहसीलदार बनेड़ा निर्णय दिनांक 23.12.97 अपील अन्तर्गत धारा 75 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित –

1. श्री कन्हैयालाल सेन अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से

## निर्णय

दिनांक 13.06.2022

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 नायब तहसीलदार बनेड़ा के नामान्तरकरण संख्या 440 दिनांक 23.12.97 के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खेड़लिया प०ह० खेड़लिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा की कृषि भूमि आराजी नम्बर 163/1 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, 388 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 02 दो कुल रकबा 04 बीघा भूमि रामचन्द्र एवं अन्य खातेदारों के शामिलती में दर्ज थी, इसी प्रकार आराजी नम्बर 178 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, 372 रकबा 07 बिस्वा, 383 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, 384 रकबा 14 बिस्वा 385 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, 386 रकबा 13 बिस्वा, 387 रकबा 15 बिस्वा, 394 रकबा 18 बिस्वा, 395 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 09 नो कुल रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा भूमि रामचन्द्र, रामसुख एवं अन्य खातेदारों के शामिलती में दर्ज थी, इसी प्रकार आराजी नम्बर 380 रकबा 06 बिस्वा रामचन्द्र, रामसुख एवं अन्य के खातेदारान में दर्ज थी, खातेदार रामचन्द्र मु० मोती रामसुख पिता लक्ष्मण के फौत हो जाने से विरासत का नामान्तरकरण संख्या 440 पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 23.12.97 को भरा गया जिसमें मृतक खातेदार प्रथम श्रेणी के वारीस देबीलाल, रूपा, गीता, समता पिता रामसुख, जेतू पत्नि रामसुख के नाम दर्ज किया। जिस पर भू-अभिलेख निरीक्षक ने भी दिनांक 24.11.97 को



अति. जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवायी हेतु अवसर प्रदान नहीं किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 440 पारित किया गया, जो विधिभ्रूषण नहीं होकर त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

पत्रावली परीक्षण से जाहिर होता है कि नायब तहसीलदार बनेडा ने पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट का पूर्ण रूप से विवेचन एवं अध्ययन किये बिना ही एवं बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के ही गीता एवं समता का नाम हटा, नामान्तरकरण संख्या 440 स्वीकृत कर दिया जो विधि विरुद्ध होकर त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।


अतः नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त के मध्येनजर अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में एक बार सुनवायी का मौका दिया जाकर प्रकरण में अपीलार्थी को अपना पक्ष रखकर पूर्ण अवसर प्रदान कर तथा समस्त दस्तावेजात एवं वारिसान की सम्पूर्ण जांच कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अजसिरे निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता है। उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव—

### आदेश

अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। नायब तहसीलदार बनेडा द्वारा ग्राम खेडलिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 440 दिनांकित 23.12.1997 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण रिमाण्ड कर नायब तहसीलदार बनेडा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी की सुनवायी की जाकर तथा समस्त दस्तावेजात एवं वारिसान की जांच कर अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। अपीलार्थी को आवश्यक रूप से पाबन्द किया जाता है कि वह इस प्रकरण में अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में रखने हेतु संबंधित समस्त दस्तावेजात के साथ अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेडा के यहां दिनांक 15.07.2022 को उपस्थित हों। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(डॉ. राजेश गोयल)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
अति. जिला कलक्टर  
भीलवाडा  
भीलवाडा